

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2024/ 2235

दिनांक :- 20/09/2024

निमित्त :

कैरियर पॉइंट इन्फ्रा लि0 एवम माहेश्वरी एग्रोबेस प्र0लि0
जयें डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी
निवासी :- 112, शक्ति नगर
कोटा (राज0)।

विषय :- ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनाधी) खसरा नम्बर 294(पाटी), 296(पाटी), 1071/974(पाटी) एवं 794 (पाटी) ग्राम धाकड़
खेड़ी क्षेत्रफल 2900 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान अनुमोदन के सम्बन्ध में

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हैक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 30/08/2024 में लिये गए निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरान्त योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है -

- (1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित एवं निम्न समस्त शर्तों की पालना विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
- (2) नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि कोटा विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- (3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कोटा विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में करना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 3 वर्ष तक रख-रखाव करना होगा। यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (5) भूखण्डों पर निर्माण कोटा विकास प्राधिकरण से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।
- (6) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे योजना में किसी प्रकार का संशोधन कोटा विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (7) रैनवाहटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राईट आफ वे' दिया जावेगा।
- (8) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें कोटा विकास प्राधिकरण में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।
- (9) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था सुचारु रूप से चले।

For M/s Coral Colonizers

Authorised Signatory

Signature valid

Digitally signed by Kushal Kumar
Kothari
Designation : Secretary
Date: 2024.09.20 11:19:53 IST
Reason: Approved



- (10) नियमानुसार रैरा में पंजीकरण/भूखण्डों के विक्रय की कार्यवाही से पूर्व विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार मौके पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। मौके पर भूमि कम/अधिक अथवा किसी अन्य का कब्जा होने पर भूमि के आकृति/क्षेत्रफल आदि स्वीकृत ले-आउट से भिन्न होने पर यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं नियमानुसार संशोधित ले-आउट स्वीकृत/ अन्य कार्यवाही करवाई जानी होगी।
- (11) आंतरिक विकास कार्य के पेटे 12.5 % विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड सं० C-4 व C-5 कुल भूखण्ड 02 क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास कोटा विकास प्राधिकरण में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें।
- (12) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/दिशा-निर्देशों/आदेशों/निर्देशों/मार्गदर्शन आदि के दृष्टिगत यदि किसी नियम की व्याख्या अथवा अन्य के दृष्टिगत कोई शुल्क/राशि देय होती है, तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराई जानी होगी।
- (13) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का कोटा विकास प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (14) समय-समय पर राज्य सरकार एवं कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
- (15) टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों के समस्त प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
- (16) रेलवे सीमा से 100' फीट गहराई के अन्तर्गत आ रहे भूखण्डों की निर्माण स्वीकृति रेलवे से अनापत्ति उपरांत दी जावे। इसका अंकन ले-आउट एवं पट्टे में भी किया जावे।
- (17) रक्षा संस्थापन/स्थापना की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति बाबत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जावे।
- (18) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।
- (19) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान

प्रतिलिपि :-

- 1- उप सचिव-....., कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा।
- 2- अधिशाषी अभियंता (.....) कोटा विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवम् समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चितता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

For M/s Coral Colonizers

Authorised Signatory

**सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण**

Signature valid

Digitally signed by Kushal Kumar Kothari
Designation : Secretary
Date: 2024.09.20 11:19:53 IST
Reason: Approved

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी.टी.पी.0/2024/ 2295

दिनांक :- 29/10/2024

-:: कार्यालय आदेश ::-

कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ/7/डी.टी.पी./2024/2235 दिनांक 20/09/2024 (राजकाज रेफरेन्स नं0 10589452 दिनांक 20/09/2024) एवम् पत्र क्रमांक एफ/7/डी.टी.पी./2024/2274-2275 दिनांक 16/10/2024 (राजकाज रेफरेन्स नं0 11126762 दिनांक 15/10/2024) द्वारा आवेदक कैरियर पाईट इन्फ्रा लिमिटेड एवं माहेश्वरी एगोबेस प्रा.लि. जरिए डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी पुत्र श्री गुलाबचंद माहेश्वरी निवासी- 112, शक्ति नगर, कोटा के नाम क्रमशः ले-आउट प्लान स्वीकृति पत्र मय मानचित्र एवम् उप पंजीयक (प्रथम), कोटा के नाम पत्र जारी किया गया था, जिसमें सहवन से खसरा संख्या 1071/794 (पार्ट) के स्थान पर खसरा संख्या 1071/974 (पार्ट) अंकित हो गया था। आवेदक द्वारा दिनांक 28/10/2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर संशोधन किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः उक्त ले-आउट प्लान स्वीकृति पत्र एवं अनुमोदित मानचित्र तथा उप पंजीयक (प्रथम), कोटा के नाम जारी पत्र में खसरा संख्या 1071/974 (पार्ट) के स्थान पर खसरा संख्या 1071/794 (पार्ट) पढ़ा जावे।

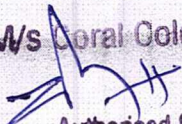
- अन्य नियम व शर्तें न्यास/कोटा विकास प्राधिकरण के पूर्व पत्र क्रमांक एफ/7/डी.टी.पी./2024/2235 दिनांक 20/09/2024 (राजकाज रेफरेन्स नं0 10589452 दिनांक 20/09/2024) एवम् पत्र क्रमांक एफ/7/डी.टी.पी./2024/2274-2275 दिनांक 16/10/2024 (राजकाज रेफरेन्स नं0 11126762 दिनांक 15/10/2024) अनुसार यथावत् रहेंगी।

प्रतिलिपि :-

- 1 उप सचिव (.....), कोटा विकास प्राधिकरण।
- 2 अधिशाषी अभियन्ता (.....), कोटा विकास प्राधिकरण।
- 3 ✓ उप पंजीयक (प्रथम) कोटा।
- 4 कैरियर पाईट इन्फ्रा लिमिटेड एवं माहेश्वरी एगोबेस प्रा.लि. जरिए डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी पुत्र श्री गुलाबचंद माहेश्वरी निवासी- 112, शक्ति नगर, कोटा (राज0)

सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण

For M/s Coral Colonizers


Authorised Signatory

Signature valid

Digitally signed by Kunal Kumar Kothari
Designation : Secretary
Date: 2024.10.29 13:04:58 IST
Reason: Approved



कोटा विकास प्राधिकरण

2-4-25

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2025/2626 दिनांक :- /03/2025

-:: कार्यालय आदेश ::-

कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ/7/डी.टी.पी./2024/2235 दिनांक 20/09/2024 (राजकाज रेफरेन्स नं0 10589452 दिनांक 20/09/2024) द्वारा आवेदक कैरियर पॉइंट इन्फ्रा लिमिटेड एवम माहेश्वरी एगोबेस प्रा0लि0 जयें डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी के नाम ले-आउट प्लान स्वीकृति पत्र मय मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें सहवन से आवेदक का नाम कैरियर पॉइंट इन्फ्रा लिमिटेड जयें डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी, माहेश्वरी एगोबेस प्रा0लि0 जयें डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी एवम श्रीमति राधारानी पत्नि श्री गोविन्द नुवाल जयें मुख्तार श्री ओम माहेश्वरी के स्थान पर कैरियर पॉइंट इन्फ्रा लिमिटेड एवम माहेश्वरी एगोबेस प्रा0लि0 जयें डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी अंकित हो गया था। आवेदक द्वारा दिनांक 25/03/2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर श्रीमति राधारानी पत्नि श्री गोविन्द नुवाल का नाम अंकित करते हुए संशोधन किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः उक्त ले-आउट प्लान स्वीकृति पत्र एवं अनुमोदित मानचित्र में आवेदक का नाम कैरियर पॉइंट इन्फ्रा लिमिटेड जयें डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी, माहेश्वरी एगोबेस प्रा0लि0 जयें डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी एवम श्रीमति राधारानी पत्नि श्री गोविन्द नुवाल जयें मुख्तार श्री ओम माहेश्वरी पढ़ा जावे।

- अन्य नियम व शर्तें न्यास के पूर्व कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ/7/डी.टी.पी./2024/2235 दिनांक 20/09/2024 (राजकाज रेफरेन्स नं0 10589452 दिनांक 20/09/2024) अनुसार यथावत् रहेंगी।

प्रतिलिपि :-

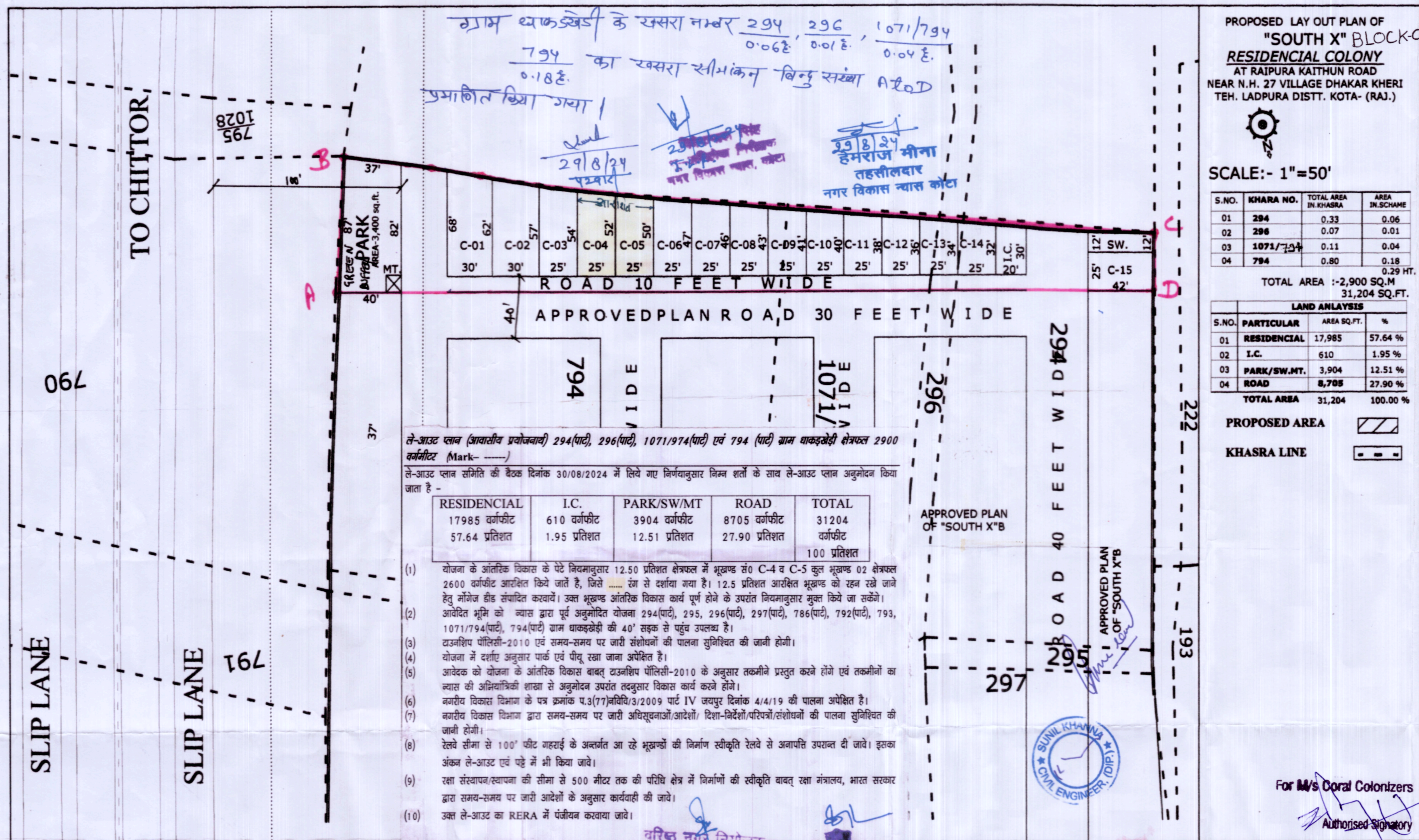
- 1 उपायुक्त (.....), कोटा विकास प्राधिकरण।
- 2 अधिशाषी अभियन्ता (.....), कोटा विकास प्राधिकरण।
- 3 कैरियर पॉइंट इन्फ्रा लिमिटेड जयें डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी, माहेश्वरी एगोबेस प्रा0लि0 जयें डायरेक्टर श्री ओम माहेश्वरी एवम श्रीमति राधारानी पत्नि श्री गोविन्द नुवाल जयें मुख्तार श्री ओम माहेश्वरी निवासी मकान नं0 112, शक्ति नगर, कोटा (राज0)।

सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Kushal Kumar Kothari
Designation: Secretary
Date: 2025.04.02 17:59:47 IST
Reason: Approved





For ~~M/s~~ Coral Colonizers

Authorized Signatory